201

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ॥म0प्र0॥

प्र0क्र0/आर-

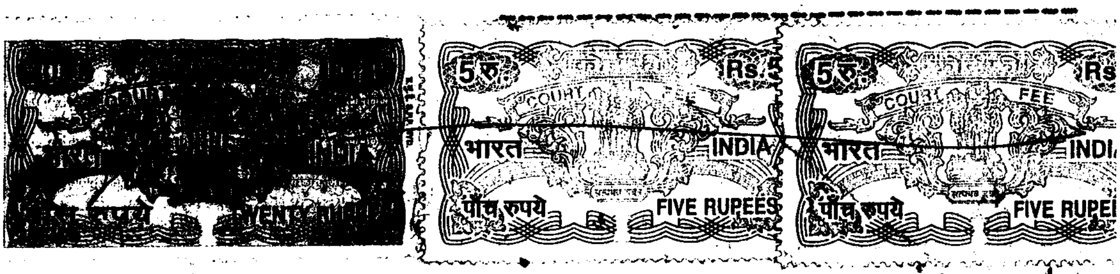

R 5116-II/17

1- मुस० सुखरजुआ बिधवा धर्म पत्नी स्व० लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी उम्री 78 बर्ष

2- मिथिला प्रसाद तनय स्व० लक्ष्मण प्रसाद चतु0 उम्री लगभग 46 बर्ष ।

3- बिधाकान्त चतु0 आत्मज स्व० लक्ष्मण प्रसाद चतु0 उम्री लगभग 43 बर्ष ।

तीनों का पेसा कृषि एवं नि0ग्राम शुकुलगवां पत्रालय रतनगवां थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा ॥म0प्र0॥ - - - - - - - -निगराकारगण

अधि० श्री रामसुशील द्वारा प्रस्तुत 21.2.17

बनाम

1- श्री गया प्रसाद चतु0 आत्मज स्व० रामकुमार चतु0 उम्री लगभग 51 बर्ष

2- श्री राजधर तनय श्री राममनोहर ब्रा0 उम्री लगभग 55 बर्ष ।

3- श्रीमती कलावती धर्म पत्नी श्री राजधर ब्रा0 उम्री लगभग 53 बर्ष ।

तीनों का पेसाकृषि एवं नि0ग्राम शुकुलगवां पत्रलय रतनगवां थाना व तहसील मऊगंज, जिलारीवा ॥म0प्र0॥

4- शासन म0प्र0 - - - - - - - - - - - - - - -गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार बृत्त सीतापुर तहसील मऊ जिला रीवा ॥म0प्र0॥ के प्र0क्र0/04/अ5/16- आदेश दिनांक 28-01-2017 ॥ अट्ठाइस जन सन् ॥ दो हजार सत्रह ॥

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

॥अ॥- यह कि भूमि ख0क्रमांक 139 स्थित ग्राम शुकुलगवां के उपखण्ड

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5116–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसुशील शर्मा उपस्थित द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 4/अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.1.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा 139 स्थित ग्राम शुकलगवां के उपखण्ड 139/2 एवं 139/7 के नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र अनावेदक कमांक –1 द्वारा एवं उक्त भूमि के उपखण्ड कमांक 139/6 के तरमीम हेतु गैर निगराकार कमांक 3 के द्वारा एवं 139/1ग के नक्शा तरमीम हेतु गैर निगराकार कमांक–2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि कमशः प्रकरण कमांक 16/अ–5/09–10 एवं 17/अ–5/09–10 व 18/अ–5/09–10 में पंजीकृत किये गये एवं एक साथ योजितकर सुनवाई किये जाने हेतु आदेश पत्रिका दिनांक 12.5.10 लेख किया गया जिसका परिपालन न किया जाकर विधि विरूद्व ढंग से मात्र प्रकरण कमांक	

16/अ—5/09—10 में दिनांक 31.07.10 को आलोच्य आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई उनके द्वारा प्रकरण पंजीकृत कर दिनांक 6.8.14 को स्वीकार कर प्रकरण ~~प्रकरण~~ एक साथ निराकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ—5/2016—17 में दिनांक 28.1.17 को आदेश पारित करते हुये पूर्व में किये गये नक्शा तरमीम की पुष्टि करते हुये प्रकरण समाप्त किया जिससे से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ~~कि~~ नायब तहसीलदार सीतापुर का आदेश दिनांक 28.1.17 पूर्णतया विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि हितबद्व पक्षकारों को नहीं सुना गया है और न ही उनके द्वारा पक्षकार बनाया गया है मात्र म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुनः नक्शा तरमीम किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— आंवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में

पैरा –3 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित। पट्वारी से जांच कराई गई। आवेदक विद्याकांत द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की टीम गठित कर प्रस्ताव मंगाया जावे। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश में लेख है कि राजस्व निरीक्षक मउगंज के साथ पटवारी हल्का द्वारा निष्पक्ष जांच कराई गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर भूमि खसरा 139 स्थित ग्राम शुकलगवां किये गये तरमीम को विक्रय पत्र की चौहददी एवं कब्जा अनुसार सही होना पाया गया था इसलिये नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 4/अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.1.17 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य